

# समाहरणालय, खूँटी

(समेकित जनजाति विकास अभिकरण शाखा)

Email id – mesokhunti@gmail.com

Phone No. 06528-221592

## अतिअल्पकालिन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 02 वर्ष 2017-18

1. विभाग का नाम :- कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार रांची।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि/समय :- दिनांक 20.06.2017 को कार्यालय अवधि में एवं 21.06.2017 को 1.00 बजे अपराहन तक।
3. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी।  
कार्यपालक अभियन्ता, विशेष प्रमण्डल, खूँटी।
4. निविदा प्राप्त करने की तिथि/समय :- 22.06.2017 (3.00 बजे अपराहन तक)
5. निविदा खोलने की तिथि/समय :- 22.06.2017 (3.30 बजे अपराहन)
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, खूँटी।

### 7. कार्यो की विस्तृत विवरणी

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	निर्मला उच्च विद्यालय पिडुल के 50 शैय्या छात्रावास में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था	9,68,800/-	19,400/-	1,250/-	दो माह

### निविदा की शर्त:-

1. प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य मान्य होगा।
2. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से लिया जायगा, जो परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी के पदनाम से निर्गत होगा एवं भारतीय स्टेट बैंक, खूँटी में भुगतये होगा।
3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ सिर्फ झारखण्ड सरकार के भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी का निबंधन एवं अद्यतन आचरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, बिक्रीकर प्रमाण पत्र एवं आयकर प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायगा। परिमाण विपत्र क्रय के समय संवेदक के पास उपरोक्त का मूल कागजात रहना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार इसकी जाँच की जा सके।
4. अग्रधन के रूप में पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (अष्टम निर्गम) या पांच वर्षीय सावधि जमा पासबुक, बैंक गारंटी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्गत तीन वर्षीय/पाँच वर्षीय Fixed Deposit भी देय होगा, जो परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी के नाम से प्रतिज्ञिप्त होगा।
5. विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
6. कीमत में वृद्धि होने पर (कार्य की प्रगति के दौरान ) किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

